(1)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी-2559/2018/शिवपुरी/भू.रा.

1. रघुवीर पुत्र श्री हईलाल कुश्वाह आयु–51 वर्ष व्यवसाय–कृषि
2. दयाराम श्री हईलाल कुश्वाह आयु–41 वर्ष
3. धनीराम श्री हईलाल कुश्वाह आयु–37 वर्ष
4. इमरत श्री हईलाल कुश्वाह आयु–35 वर्ष समस्त व्यवसाय– कृषि समस्त निवासीगण –ग्राम मामौनीकलां तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.)
5. रोशन पुत्र श्री रामसिंह कुशवाह आयु–36
6. कमल सिह पुत्र कल्लू कुशवाह आयु–36
7. रविन्द्र पुत्र पर्वत पाल आयु–41 वर्ष
8. पूरन पुत्र बैजूपाल आयु–50 वर्ष
9. कैलाश पुत्र श्री बैजू पाल आयु–61 वर्ष समस्त व्यवसाय–कृषि समस्त समस्त निवासीगण –ग्राम मामौनीकलां तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.)

श्री डी-प्रसा० कुशवाह अभि० द्वारा आज दि० 25-4-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

M/Fe.ol
2-5-2018

—— निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

1. महिला नारायणी बाई पत्नी प्रभू धोबी आयु–50 वर्ष व्यवसाय–गृह कार्य निवासी–ग्राम मामौनीकलां तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.)

—— रेस्पोडेंट्स/अनावेदिका

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी विरूद्ध आदेश दिनांक 18–01–2018 प्रकरण क्रमांक 65/2016–17/अपील उन्वान रघुवीर आदि बनाम महिला नारायणी बाई से दुखित होकर प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2559/2018/शिवपुरी/भू.रा.

रघुवीर आदि विरूद्ध महिला नारायणी बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24–04–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री डी.एस. कुशवाह अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 65/2016–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 18–01–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 24/4/19 सदस्य	